यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौड़ी) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौड़ी) के माह सतम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सत्यबीर संह, लेखा परीक्षक तथा श्री राजेश कुमार सन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2018 (र ववार) से 05 फ़रवरी 2018 में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह सतम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i**)** इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः अप्रस्तुत

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

गैर स्थापना			
वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय
2014-15	**5054-04-800-03-01-24**	**631.00**	**631.00**
	3054-04-337-03-01-24	**250.75**	**250.75**
2015-16	**5054-04-800-03-01-24**	**1120.91**	**1120.84**
	3054-04-337-03-01-24	**371.25**	**371.13**
2016-17	**5054-04-800-03-01-24**	**1148.86**	**1148.66**
	5054-800-00-201-00-00	**110.00**	**99.99**
	3054-04-337-03-01-24	**409.53**	**409.53**
2017-18 (**12/2017** तक)	**5054-04-800-03-01-24**	**1505.31**	**1100.34**
	3054-04-337-03-01-24	**249.22**	**223.33**

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय `	आवंटन	व्यय	आ ध क्य	बचत	आ ध क्य	बचत
2014-15	शून्य	शून्य	168.00	166.31	881.75	881.75	शून्य	1.69	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	408.12	402.35	1492.16	1491.97	शून्य	5.76	शून्य	0.19
2016-17	शून्य	शून्य	368.25	355.57	1558.66	1558.66	शून्य	12.67	शून्य	शून्य
2017-18 (**12/2017** तक)	शून्य	शून्य	474.28	389.59	1754.53	1323.67	शून्य	84.68	शून्य	430.86

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ब श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव

↓

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष

↓

मुख्य अ भयन्ता (स्तर-I), पौड़ी

↓

अधीक्षण अ भयन्ता (12वां वृत), पौड़ी

↓

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खंड, पाबौ (पौड़ी)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौड़ी) के माह सतम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यो को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौड़ी) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह मार्च 2016 और अगस्त 2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नाबार्ड के अंतर्गत जनपद पौड़ी के पाबौ -दमदेवल मार्ग का दमदेवल तक वस्तार के मार्ग निर्माण के कार्य का चयन वस्तृत वश्लेषण हेतु कया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उसपर कए गए माह सतम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 के दौरान कए गए व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा (प्रथम लेखा परीक्षा) से अब तक की अव ध में दो बार (माह नवम्बर 2015 एवं नवम्बर 2016) कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी मार्च 2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह सतम्बर 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` 4,75,950.00

   भाग द् वतीय ` 1,98,903.00
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह नवम्बर 2016 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम `54,19,426.00

   (ख) सामग्री क्रय `390.00

   (ग) नगद परिशोधन प्रचलन में नहीं है।

   (घ) निक्षेप `54,30,168.00

   (ङ) भण्डार अप्रस्तुत

----------शून्य----------

प्रस्तर- (1) वत्तीय स्वीकृति के 09 वर्ष बाद भी कार्य का पूर्ण नहीं होना:- 395.15 लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या:- 4208/III (2) /08-22 (एम0एल0ए0) /2008/ 24 दिसम्बर 2008 के द्वारा जनपद पौड़ी में पाबो-दमदेवल मोटर मार्ग का दमदेवल तक 15 कलोमीटर के लंबाई में वस्तार के लए `**510.50** लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्य के लए मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के द्वारा तीन चरणो में 1.5 कमी, 4.00 कमी एवं 8.175 कमी के लए प्रा व धकी स्वीकृति `15.79 लाख, `87.24 लाख, `407.57 लाख यथा कुल 13.675 कमी लंबाई के लए `510.6 लाख की प्रा व धकी स्वीकृति मार्च 2010, सतम्बर 2011 एवं फ़रवरी 2016 प्रदान की गयी थी। वर्तमान में प्रपत्र-64 के अनुसार, दिसम्बर 2017 तक कार्य पर कुल व्यय `**395.15** लाख हुई थी।

अ भलेखों की जांच से यह ज्ञात होता है क यह कार्य पूर्व में निर्माण खंड, पौड़ी के द्वारा संपादित कराई जा रही थी और निर्माण खंड, पाबौ को कार्य स्थानांतरण के पूर्व निर्माण खंड, पौड़ी के द्वारा सतम्बर 2014 तक कुल `**204.59** लाख व्यय की गयी थी जब क वर्तमान में जैसा ऊपर उल्ले खत है क कुल `**395.15** लाख की रा श व्यय हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा वन भू म के सैद्धांतिक हस्तनंतरण के पश्चात 8.125 कमी में मार्ग निर्माण के लए मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के द्वारा `**407.57** लाख की प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान (फ़रवरी 2016) की गयी थी। इस स्वीकृति के पश्चात इस कार्य को संपादित कए जाने के लए अधीक्षण अ भयंता के स्तर से `**145.10** लाख (03 मार्च 2016) के अनुबंध **(06-SE-12/2016-17)** गठित कए गए थे जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश 3 मार्च 2016 और 2 मार्च 2017 थी परंतु कार्य अभी (जनवरी 2018) तक पूर्ण नहीं हुआ है। इस अनुबंध के अंतर्गत 6th **RA bill** के द्वारा व्यय `**92.28** लाख की रा श व्यय हुई थी। पुनः अ धशासी अ भयंता के स्तर से `**49.40** लाख (09 अगस्त 2018) लाख की रा श का अनुबंध गठित कया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश 9 अगस्त 2018 और 8 अगस्त 2018 थी। वर्तमान में इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य पर **1st RA bill** के द्वारा व्यय `**19.06** लाख की रा श व्यय हुई थी। खंड के द्वारा यह भी बताया गया था क **NPV** पर `**72.81**लाख व्यय की गयी थी। खंड द्वारा एक लेखा परीक्षा अवलोकन में बतलाया गया क इस कार्य के स्थानांतरण के बाद इस खंड के द्वारा इस कार्य पर `**186.73** लाख की रा श व्यय की गयी थी जब क उपलब्ध कराये गए वाउचर के अनुसार कुल `**184.15**[1] लाख की रा श व्यय गयी थी। इस प्रकार, प्रपत्र-64 (दिसम्बर 2017) में प्रद र्शत

1

Bond No.	**06/SE-12/2016-17**	**59-EE dated 09.08.2017**	**NPV**	**Total**
Voucher No.	**6th RA bill**	**1st RA bill**	**As per reply**	
Amount	**`92.28**	**`19.06**	**`72.81**	**`184.15**

कुल व्यय रा श `395.15लाख के सापेक्ष `388.75 लाख की रा श व्यय हुई थी और इस प्रकार, `6.41 लाख का ववरण अधतन प्रपत्र-64 में नहीं है जिसके बारे में खंड द्वारा बतलाया गया था क इस रा श में `2.29लाख वन निगम को दी गयी थी और शेष रा श में `3.83 लाख **contingency** पर व्यय हुई थी। पुनः निर्माण खंड, पौडी के अ धशासी अ भयंता के पत्र 29 अप्रैल 2016 से ज्ञात होता है क कुल रा श `**69.79** लाख व्यय की गयी थी परंतु प्रपत्र-64 के अनुसार कार्य हस्तानंतरण के समय तक कुल व्यय की गयी रा श `**204.59** लाख थी। इस प्रकार, व्यय में कुल `**134.80** लाख का अंतर पाया गया था।

कार्य सम्पादन के क्रम में वश्लेषण करने पर यह पाया गया क, जैसा ऊपर उल्ले खत है, अधतन प्रा व धकी स्वीकृति (जुलाई 2016) `**407.57** लाख में कार्य के लए स्वीकृत `**317.50**लाख में से `**194.51** लाख के रा श का ही अनुबंध गठित कया गया है तथा `123.00 लाख के लए अनुबंध कया जाना शेष है जब क अधतन प्रा व धकी स्वीकृति प्राप्त कए हुए डेढ़ वर्ष अ धक की अव ध व्यतीत हो चुकी है। पुनः वत्तीय स्वीकृति पर प्र व धकी स्वीकृति (फ़रवरी 2016) के आधार पर ` 206.17 लाख (ववरण नीचे है) के व्यय की दायित्व **(liabilities)** है और इसे कस प्रकार पूर्ण कया जाएगा जब क वत्तीय स्वीकृति के सापेक्ष `114.95 लाख (`510.10 लाख-`395.15लाख) की रा श ही व्यय के लए उपलब्ध है।

ववरण	रा श लाख में
अनुबंध संख्या **06-SE-12/ 2016-17** के अवशेष कार्य का दायित्व	52.82
अनुबंध संख्या (**59-EE dated 09.08.2017** के अवशेष कार्य का दायित्व	30.35
प्र व धकी स्वीकृति जुलाई 2016 सापेक्ष अवशेष कार्य का दायित्व	123.00
कुल दायित्व	206.17

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया क `**69.79** लाख का व्यय केवल पहाड़ कटान से संबन्धित है और इसमे पार्ट-**II** का कार्य सम्मि लत नहीं है। कार्य में वलंब के संबंध में अवगत कराया गया क वन वभाग की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा पाटन/ढुलाई में अत्य धक वलम्ब होने के कारण कार्य में देरी हुई।

खंड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्यों क खण्ड द्वारा गठित अनुबन्धो के द्वारा संपादित कया कार्य **midway** में है और अभी भी `123.00 लाख के लए अनुबंध कया जाना शेष है। अत: कार्य सम्पादन में तत्परता के अभाव में कार्य में अनावश्यक वलम्ब हुआ जब क यह वदित है क कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुए 09 वर्ष व्यतीत हो चुके है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर-(2):- भ वष्य नि ध अ भदान पर अ धक ब्याज दिया जाना:- `8204.00

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, निर्माण खण्ड, पाबौ मे कार्यरत अ धकारियों/ कर्मचारियो की सामान्य भ वष्य नि ध पास बुकों एवं लेजर की जांच लेखा परीक्षा के द्वारा की गयी थी और यह पाया गया था क श्री जगदीश संह, जो क मेट के पद से जुलाई 2017 में अवकाश प्राप्त कए थे, के अ भदान पर वर्ष 2016-17 में ब्याज की गणना 8.1 प्रतिशत के आधार पर की जानी चाहिए थी परंतु इनके अ भदान पर ब्याज की गणना 8.7 प्रतिशत के आधार पर कया गया था जिसके कारण इन्हे भ वष्य नि ध की जमा रा श पर अंतिम भुगतान के समय `8204.00 का अ धक भुगतान कया गया था जिसका ववरण संलग्न है।

इस बिन्दु को इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत करा गया क समग्र जाँचोपरान्त संबन्धित से वसूली की कार्यवाही की जाएगी और जांच के परिणाम से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अत: लेखापरीक्षा में खण्ड द्वारा इस बिन्दु पर की गयी कार्यवाही के परिणाम से अवगत कराना अपे क्षत होगा।

STAN

प्रस्तर-(1) निक्षेप पंजिका की जांच

खण्ड में संधारित की जा रही निक्षेप पंजिका एवं माह दिसम्बर 2017 के प्रपत्र-79 (schedule of Deposit) की जांच लेखा परीक्षा में की गयी और यह पाया गया क `54,30,168.00 की रा श निम्न ल खत ववरण के अनुसार दिसम्बर 2017 तक असमायोजित पड़ी थी। जांच में निम्न ल खत तथ्य वदित हुए थे।

a. जिला परियोजना अ धकारी के पत्रांक नियोजन/798-802/RMSA/नि0कार्य0/(14-15) दिनांक 8 सतम्बर 2015 के द्वारा 04 स्थानो पर RMSA के अधीन भवन निर्माण हेतु `225.21 लाख की नि ध आवंटित की गयी थी और इसमे से `12.05 लाख की रा श अवशेष के रूप निक्षेप में पड़े थे तथा दो कार्य में ऋणात्मक अवशेष यह इं गत करता था क व्यय प्रावधान से अ धक कया गया था।

b. पुनः यह भी पाया गया था क कार्य पूर्ण होने बाद भी वधायक नि ध एवं देवी आपदा की रा श क्रमशः`2,35,355.00 एवं `1,32,795.00 यथा कुल रा श `3,68,150.00 की रा श निक्षेप पंजिका में अवरुद्ध पड़ी थी।

   उपरोक्त को इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क ठेकेदार द्वारा कार्य वलंब से प्रारम्भ कए जाने के कारण रा श अवशेष पड़ी है तथा यह भी बतलाया गया क दो कार्य में ऋणात्मक अवशेष RMSA से रा श के प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाएगी। अवरुद्ध रा श के संबंध में बतलाया गया क शेष रा श को सम र्पत कर दिया जाएगा।

   खण्ड का उत्तर लेखा परीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है।

भाग-III

वर्तमान लेखा परीक्षा खंड की प्रथम लेखा परीक्षा है। इस लए वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण शून्य है।

---------- शून्य----------

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलो कत नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौड़ी) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है
2. सतत् अनिय मतताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम संख्या	अ धशासी अ भयंता का नाम	पदनाम	अव ध	
			से	तक
1	श्री सुरेश तोमर	अ धशासी अ भयंता	23.05.2014	30.05.2014
2	श्री श्रीकान्त शर्मा	अ धशासी अ भयंता	31.05.2014	29.10.2014
3	श्री एस के तोमर	अ धशासी अ भयंता	30.10.2014	06.12.2014
4	श्री एल एस जगवान	अ धशासी अ भयंता	06.12.2014	16.12.2015
5	श्री प्रत्युष कुमार	अ धशासी अ भयंता	16.12.2015	अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

क्रम संख्या	खंडीय लेखा धकारी का नाम	पदनाम	अव ध	
			से	तक
1	श्री राजेश बंदुली	खंडीय लेखा धकारी	15.09.2014	15.06.2017
2	श्री के के सागर	खंडीय लेखा धकारी	15.06.2017	अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौड़ी) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/आ र्थक क्षेत्र-2